

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू०जी० 2025 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका (Advisory)

- द्वितीय चरण हेतु प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के संशोधन 2024 बिन्दु क्रमांक-8 में उल्लेखित नियम 11 उप नियम (2) अनुसार सभी पात्र अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपनी च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग के समय सारणी में प्रदर्शित अंतिम दिनांक एवं समय तक Edit Option उपलब्ध रहेगा। अंतिम locked choice को ही मान्य किया जायेगा। च्वाईस लॉक न किये जाने की स्थिति में भरी गई च्वाईस मान्य नहीं होगी एवं अभ्यर्थी आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।
- द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद" संशोधन अधिसूचना, भारत का राजपत्र क्रमांक 367 दिनांक 02 जून 2023 एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 (संशोधन 19 जून 2019, 05 अक्टूबर 2021, 26 जुलाई 2022, 10 मई 2023, 02 जुलाई 2024 एवं 03 सितम्बर 2025) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए नियमानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए ₹0 10 (दस) हजार एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा ₹0 5 (पांच) हजार की राशि द्वितीय चरण की च्वाईस फिलिंग से पूर्व अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाईन जमा करानी होगी। निजी महाविद्यालयों हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम शुल्क ₹0 1 (एक) लाख जमा करने होंगे। निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को ₹0 1(एक) लाख एवं एन.आर.आई अभ्यर्थीयों हेतु ₹0 10 (दस) लाख जमा करने होंगे।

द्वितीय चरण में च्वाईस फिलिंग किये जाने से पूर्व जमा किये जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस में समायोजित होगा।

द्वितीय चरण में अनुसूचित जनजाति श्रेणी (ST category) के अभ्यर्थियों को शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इस चरण के लिये च्वाईस फिलिंग से पूर्व किसी तरह की कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी किन्तु च्वाईस लॉकिंग के समय पोर्टल शुल्क ₹0 100/- ऑनलाईन जमा करना होगा।

- द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर के निवासी (Non Domicile) हैं, आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर सकेंगे।
- द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जायेगा। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध न होने

की स्थिति में ही राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (Non Domicile) को आवंटन मेरिट के अनुसार दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाईस) का क्रम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का विकल्प अच्छी तरह सोच विचार कर भरें एवं उन महाविद्यालयों का विकल्प (च्वाईस) न भरें जिनकी निर्धारित फीस देने में अभ्यर्थी असमर्थ हों।
6. द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय (College), पाठ्यक्रम (Course) अथवा श्रैणी (Category) में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय सीमा में (द्वितीय चरण) में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही द्वितीय चरण में श्रैणी में अपग्रेड होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को संस्था में पुनः ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
7. सभी आवंटित अभ्यर्थियों (नवीन आवंटित एवं ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड हुये हैं) को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (काउंसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेर्स्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज करानी होगी। तत्पश्चात द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी (Fresh Allotment), को आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों की सूची संचालनालय की वेबसाईट एवं एम०पी० ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र-१ में उल्लेखित हैं।

काउंसिलिंग के प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरान्त प्रवेश के लिए पूर्व के प्रवेशित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति दस्तावेजों की फोटो प्रतियों एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क (प्रथम चरण से प्रवेशित महाविद्यालय की जमा शुल्क एवं द्वितीय चक्र के लिए जमा किये गये अग्रिम शुल्क को घटाकर) जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य होने की दशा में काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी को लौटाई जायेगी।

8. Upgraded अभ्यर्थी यदि अपनी छात्रवृत्ति योजना के विकल्प किसी प्रकार का संशोधन करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।
9. पात्र घोषित किये गये अभ्यर्थियों को संस्था का प्रवेश शुल्क (शासन की घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के शुल्क का समायोजन किया जायेगा) ऑनलाईन जमा करना होगा जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आर०टी०जी०एस० द्वारा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी भुगतान हेतु एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके खाते में इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किये जाने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन) राशि की

सीमा बढ़ा लें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि द्वितीय चरण की प्रवेश अवधि कम होने के कारण शीघ्रातिशीघ्र आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें।

10. द्वितीय चरण में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय मॉप अप चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प (Yes or No) दर्ज करना अनिवार्य है। विकल्प दर्ज करने के उपरान्त ही द्वितीय चरण की प्रवेश स्लिप ऑनलाईन जनरेट हो सकेगी। अभ्यर्थी द्वितीय चरण की समय सारणी में उल्लेखित समय अवधि में उनके द्वारा दर्ज किये गये अपग्रेडेशन के विकल्प को केंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध Willingness for upgradation link पर क्लिक कर एडिट कर सकेंगे।
11. प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुये है मॉप अप चरण के लिये अपग्रेड का विकल्प केंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध अपग्रेडेशन लिंक के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे।
12. प्रथम चरण के अभ्यर्थी जिनके द्वारा द्वितीय चरण के लिये अपग्रेडेशन का ऑप्षन लिया गया है, द्वारा द्वितीय चरण में फ्रेश च्वाईस फिलिंग एण्ड लॉकिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रथम चरण से प्रवेशित कालेज में यथावत बना रहेगा किन्तु उसे मॉप अप चरण हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्षन लिये जाने की पात्रता नहीं होगी।
13. द्वितीय चरण की समय सारणी में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने हेतु उल्लेखित समय सीमा में त्यागपत्र दिये जाने पर नियमानुसार अभ्यर्थी पर रु0 2 लाख का आर्थिक दण्ड लगेगा तथा वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु अपात्र होगा।
14. शुल्क भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रवेश स्लिप जारी की जायेगी।
15. शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये रजिस्टर्ड बैंक खाते में की जायेगी।

संचालक चिकित्सा शिक्षा

मध्य प्रदेश

15/9/25
15/9/25